

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं० 10/2011

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राज० काश्तकारी अधिनियम

श्री लाल मोहम्मद पुत्र श्री ताजू खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी अमरपुरा तहसील रायपुर जिला पाली।  
— वादी

बनाम

1. मंगल सिंह पुत्र श्री हिम्मता
2. श्री नर सिंह पुत्र श्री हिम्मता
3. श्री स्व० छोटू सिंह पुत्र श्री हिम्मता (मृतक बजरिये वारीसान) :-  
 3/1. समीदा बेवा पत्नी स्व० श्री छोटू सिंह वयस्क  
 3/2. बलवीर पुत्र स्व० श्री छोटू सिंह वयस्क  
 3/3. धर्मवीर पुत्र स्व० श्री छोटू सिंह वयस्क  
 3/4. पाकिजा पुत्री स्व० श्री छोटू सिंह वयस्क  
 3/3 व 3/4 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती समीदा बेवा छोटू सिंह समस्त जाति मेहरात निवासी धोलादांता तहसील मसूदा जिला अजमेर।
4. श्रीमती बरदी पत्नी हिम्मता (मृतक)(बजरिये वारीस उपरोक्तानुसार) समस्त जाति मेहरात निवासी धोलादांता तहसील मसूदा जिला अजमेर।
5. श्रीमान् उपपंजीयक एवं तहसीलदार महोदय, मसूदा जिला अजमेर।...

— प्रतिवादीगण

1. श्री सलीमबाबू  
वकील वादी उपस्थित
2. श्री ओमप्रकाश कलवार  
वकील प्रतिवादीगण उपस्थित

## निर्णय

दिनांक 30.09.2016

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.06.2016 को पारित कर विवादित आराजियात के विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार, मसूदा से तलब किये गये थे जिसकी पालना तहसीलदार, मसूदा ने बटवारा प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तावित किये हैं :-

नाम काश्तकार	नाम ग्राम	खाता सं.	हिस्सा	खसरा सं.	रक्बा	किस्म	लगा न	तरमीमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वादी लाल मोहम्मद पुत्र ताजू खां मुसलमान कायमखानी नि. अमरपुरा तह. रायपुर जिला पाली	मसूदा प्रथम	707	3/4	984/1	0-18-15	बा. 3		
				985/2	1-08-10	बा. 3	0	हरा
		708	2/3	981/2	2-14-00	ता. 3	4.65	हरा
				986/2	0-09-00	ता. 3		
		4		5-10-05		लगान	केसरिया	

*Handwritten signature*  
उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

प्रतिवादीगण मंगलसिंह, नरसिंह, छोटसिंह पिता हिम्मता व बरदी पत्नि हिम्मता कौम मेहरात नि. धोलादाता तह. मसूदा जि. अजमेर	707	1/4	984/2	0-06-05	बा. 3			
			985/1	0-09-10	बा. 3	0		केसरिया
	708	1/3	981/1	1-07-00	ता. 3			
			986/1	0-04-10	ता. 3	2.35		केसरिया
			4	2-07-05				

बटवारा प्रस्ताव पर उभय पक्षान को सुना गया । उभय पक्ष सहमत है । अतः बटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर अभिलेख पर लिए जाते है तथा वादी लाल मोहम्मद वल्द ताजू खां को मौजा मसूदा प्रथम की आराजी के विभाजन से ख.नं. 984/1 रकबा 0-18-15 व 985/2 रकबा 1-08-10 दोनों किस्म बा. 3 में बिना लगान व ख.नं. 981/2 रकबा 2-14-00 व 986/2 रकबा 0-09-10 दोनों किस्म तालाबी 3 लगान सं. 4.65 से खातेदार व प्रतिवादीगण मंगलसिंह वगैरह को ख.नं. 984/2 रकबा 0-06-05 व 985/1 रकबा 0-09-10 दोनों किस्म बा. 3 बिना लगानी व ख.नं. 981/1 रकबा 1-07-00 व 986/1 रकबा 0-04-10 दोनों तालाबी 3 लगानी सं. 2.35 से खातेदार घोषित किया जाता है तथा उसी अनुसार राजस्व अभिलेख, जमाबंदियों एवं नक्शों में तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाते है यथानुसार डिक्री जारी हो । मय प्रस्तावित तरमीमी नक्शे के डिक्री तहसीलदार, मसूदा को भिजवाई जाकर पालना करवाई जावे ।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2016 को न्यायालय हाजा पर सुनाया गया ।



(सुरेश चावला)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक (कलक्टर मसूदा)

